

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग —II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/SCH/153246//2022

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

- | | | | |
|-----|-------------------------|----|------------------------------------|
| i | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | :- | छत्तीसगढ़ |
| ii | जिला | :- | उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) |
| iii | वन प्रभाग | :- | वनमंडल कांकेर,
परिक्षेत्र सरोना |

iv वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) :-

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.में)
सरोना	नारंगी वनभूमि 417 (खसरा नंबर- 472 एवं 409)	6.66
	Total:-	6.66

- | | | | |
|------|---|----|--|
| v | वन की कानूनी स्थिति | :- | नारंगी वनभूमि असिमाकित संरक्षित। |
| vi | हरियाली का धनत्व | :- | 0.3 से 0.4 |
| vii | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में F.R.L.F.R.L.-2 मीटर पर परिगणना और F.R.L.-4 मीटर भी संलग्न की जाए) | :- | प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना पत्रक संलग्न है।
(पेज क्रमांक 32 से 34 तक) |
| viii | भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | :- | व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की समाकृति समतल एवं पहाड़ी है, जिसकी भौमिकी आरकियन तथा मृदा रेतलीडोमट मृदा के है। |

- xi वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी । :— प्रस्तावित स्थल वनसीमा से 2 कि.मी.की दूरी पर स्थित है ।
- x क्या प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाये) :— नहीं ।
- xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें । :— हाँ, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में दुर्लभ/ संकटापन्न वृक्षतिन्सा, हल्दू, भेलवा, सेहरा, अमलतास, घोटिया, शीशम, मुण्डी, सेमल, धामन, खैर, बेल, खम्हार, अर्जुन, पीपल, गिलोय, चिलप्रजाति के वृक्ष तथा सांभर, चौसिंगा, जंगली कुत्ता, बाघ (शेर), तेन्दुआ, भालू व पक्षियों में मोर, बूलबूल, किंगफिशर, कठफोड़वा, तोता, मैना, लावा एवं सर्प में धामन, करैत, नाग, गेहूँवन, अजगर, अहिराज प्रजाति के वन्य प्राणी विलुप्त प्राय स्थिति में है ।
- xii क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें । :— नहीं ।
- 08 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है । :— आदिवासी विकास विभाग, कांकेर द्वारा "संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" संचालन हेतु जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) अंतर्गत ग्राम-अंजनी नारंगी वनभूमि कक्ष क्रमांक-417 के खसरा क्रमांक-472 में रकबा 4.66 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-409 में रकबा 2.00 हेक्टेयर कुल रकबा 6.66 हेक्टेयर पर प्रस्तावित विवरण निम्नानुसार है :-

S.N	Description	Area In Heactare
1	School	0.15
2	Boys Hostel	0.12
3	Girls Hostel	0.12
4	Boys Warden	0.01
5	Girls warden	0.01
6	Kitchen & Dining	0.05
7	Principal Qtr	0.01
8	Type-III 15No.	0.07
9	Type-II 10No.	0.03
10	Guest House	0.01
11	Play ground	3.85
12	Sump	0.02
13	Deep Boring	0.01
14	Overhead tank	0.02
15	Boundary wall	0.1
16	Electric substation	0.02
17	Internal Roads	0.22
18	Pathway	0.1
19	Herbal Garden	1.52
20	Sewer line	0.22
Total :-		6.66

- 09 क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। :- नहीं।
- 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -
- i प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खंडों की संख्या, प्रत्येक भू-खंड का आकार :- प्रतिपूर्ति पूरक वनीकरण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के दुर्गकोंदल परिक्षेत्र परिक्षेत्र अंतर्गत रकबा 6.66 हे. चयन कर प्रस्तावित किया गया है। तहसील-भानुप्रतापपुर, प.ह.न.-05, खसरा नंबर-66, राजस्व निरीक्षक मंडल-दमकसा
- ii प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र। :- संलग्न है। पेज क्रमांक से ~~64~~ तक।
- iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि :- रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान से वर्ष 2022-23 हेतु प्रचलित सिंचित दर प्रति हेक्टेयर 878787/- रुपये दर से रकबा 6.66 हेक्टेयर में रोपण हेतु रु. 5852721.42 लाख रुपये प्राप्त कर कैम्पा खाता में जमा कराया जाकर वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा। प्राक्कलन पेज क्रमांक ~~39~~ से ~~67~~ तक संलग्न है।
- iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय। :- रु. 20 करोड़ (अनुमानित)
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए) :- वनमंडलाधिकारी पूर्वभानुप्रतापपुर वनमंडल द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई भूमि के संबंध में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। (पेज क्रमांक ~~69~~ से ~~70~~ तक)
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- संलग्न है।
- 12 विभाग/जिला प्रोफाइल :-
- i जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल :- कांकेर जिले का भौगोलिक क्षेत्र 7247.959 वर्ग कि.मी. है।
- ii जिले का वन क्षेत्र :- जिले का कुल वन क्षेत्रफल 3686.685 वर्ग कि.मी. है।
- iii मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- वन मंडल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 12 प्रकरणों में 126.569 हैं. वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
- iv 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण -
- क दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- वनमंडल अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध अब तक 1389.365 हेक्टेयर भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।
- ख वनेत्तर भूमि पर :- नहीं।

- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध :- कार्य राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 27/6/2022

स्थान :- कांकेर

आलोक बाजपेई

(भा.व.से.)

वनसंरक्षण अधिकारी

कांकेर वनमंडल कांकेर

Ab